Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case ..... 5/13/ता ..... R.C. Year 2023

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जोधपुर

चिमनसिंह व अन्य ..... Versus ..... लिखमाराम व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
18/01/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी चिमन सिंह S/o लिखमाराम द्वारा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. पेश कर निम्न अनुतोष चाहा गया- " अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के विरुद्ध ताफैसला-वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ग्राम माणकलाव की ख. सं. 462, रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, ख. सं. 542, रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा, ख. सं. 543, रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा, कुल 101 बीघा 7 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्से की भूमि से अप्रार्थीगण सं. 01, 02 बेदखली, बेचान, अंतरण की कार्यवाही ना तो स्वयं करें ना अन्य से करावें।" वाद कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी सं. 01, 02, 04 की फौतगी की सूचना पर वादी द्वारा दिनांक 23/01/23 को संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया (Flag A)। अप्रार्थी प्रति. सं. 03 द्वारा दिनांक 01/07/14 को जवाब प्रा-पत्र पेश। मुताबिक जवाब-" विवादित भूमि का 1/4 हि. जो मुझ अप्रार्थी 03 व 1/4 हि. जो मेरे भाई नीम सिंह के नाम दर्ज था, उसका बेचान अप्रार्थी सं. 04 को कर दिया गया था। यदि प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।" अप्रार्थी सं. 06 द्वारा दिनांक 03/06/15 को जवाब प्रा-पत्र पेश। मुताबिक जवाब-" ख. सं. 462/1, जो मूल खसरा 462 का भाग है, के रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा का बेचान मुझ अप्रार्थी सं. 06 के पक्ष में दिनांक 14/01/13 को जरिए पंजीबद्ध बैयनामा कर दिया गया है, उक्त भूमि पर मेरा कब्जा- काश्त है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	

Number of Case .... सहाय .... लकदर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT) जोधपुर .... धारा 212 रा.का.अ. .... Year .... CNR NUMBER ....

चिमनी ई व अन्य Versus 130/2023 लिखमाराम वगैरह

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	अप्रार्थी सं 01/01 की ओर से दिनांक 04/05/22 को जवाब पेश। मुताबिक जवाब- "स्व. लिखमाराम एवं स्व. भंवरी देवी ने विवादित भूमि स्वयं खरीद की तथा अपने जीवनकाल में एक वसीयत अप्रार्थी सं. 01/01 के पक्ष में दिनांक 27/09/13 को निष्पादित ~~करते हुए~~ किया। प्रार्थी ने माता-पिता को किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं किया है। अतः प्रा- पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	अप्रार्थी सं- 04/01, 05 की ओर से दिनांक 22/06/23 को जवाब पेश किया गया। मुताबिक जवाब-" विवादित भूमि के ख- सं. 462 के रकबा 7 बीघा 16 बीघा का बेचान दिनांक 25/09/04 को अप्रार्थी सं. 04 व 05 को किया जा चुका है। शेष भूमि ख-सं. 542, 48 बीघा 8 बिस्वा, ख. नं. 543 45 बीघा 3 बिस्वा, कुल 93 बीघा 11 बिस्वा का आपसी सहमति से दिनांक 01/10/15 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा मौके पर बंटवारा अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। जिसके अनुसार ख. सं. 543 (44 बीघा 10 बिस्वा), ख. सं. 542/1 (1 बीघा 19 बिस्वा) के हिस्से में भूमि अप्रार्थी सं- 04 व 05 के हिस्से में आई। ख - सं - 543 (22 बीघा 4 बिस्वा) अप्रार्थी सं: 01/01 के हिस्से में आई। सभी अप्रार्थी अपने-2 हिस्से पर काबिज है। अतः अप्रार्थी सं- 04 व 05 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जावे।"	
	अप्रार्थी सं- 07 ता 10 की ओर से दिनांक 09/10/23 को जवाब पेश किया	

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the

गया। मुताबिक जवाब - " विवादित भूमि में से 4 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 07 ता 10 की ओर से रास्ते हेतु खरीद की गई है, जिस पर अप्रार्थी सं. 07 ता 10 रास्ते के सुखाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अप्रार्थीगण का प्रार्थी से कोई वाद कारण नहीं है, अतः प्रा-पत्र खारिज फरमाया जावे।"

मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - " वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता सिरवमाराम व चाचा अर्जुनसिंह, भीमसिंह ने खरीद की। (½ हि. सिरवमाराम, ¼ हि. अर्जुनसिंह, ¼ हि. भीमसिंह)। प्रार्थी के नाबालिग होने की स्थिति में अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने ½ हि. में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उक्त में से कुछ भूमि का बेचान प्रार्थी के पिता द्वारा कर दिया गया। शेष ख. सं. 542, 543 वर्तमान में विवादित है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2013 में, अपने पिता के जीवनकाल में ही, खातेदारी घोषणा का दावा पेश कर दिया गया था। पूर्व में प्रार्थी का T.I. प्रा. पत्र खारिज कर दिया गया था, जिसे मा. RAA में appeal होने पर remand कर दिया गया था। तत्पश्चात एक वसीयत के आधार पर जमाबंदी में प्रति. सं. 04/01 का नाम दर्ज हुआ। उपरोक्त वसीयत की appeal प्रार्थी ने civil court में की है। प्रार्थी खातेदारी घोषणा का अधिकारी है, अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।"

मुताबिक बहस प्रति. सं. 04/01 व 05 - " पूर्व में ख. सं. 462 का 7 बीघा

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of com of the Orde
	16 बिस्वा दिनांक 25/09/04 को प्रति. सं. 01, 02, 04, 05 द्वारा बेचान की जा चुकी है। ख. सं. 542, 543 का आपसी सहमति से दिनांक 01/10/15 को तहसीलदार द्वारा मौकानुसार बंटवारा कर तरमीम एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। अतः प्रति. सं. 04/01 व 05 के विरुद्ध किसी प्रकार की TI जारी ना हो।"	
	मुताबिक बहस अप्रार्थीगण 07 ता 10 -" अस्थायी निषेधाज्ञा के चलते अप्रार्थीगण रास्ते हेतु खरीदशुदा भूमि पर सुखाधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों, शपथ-पत्र, बहस के आधार पर प्रा-पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-	
	" प्रार्थी द्वारा केवल अप्रार्थी सं. 01/01 (का. 01, 02 i.e. अप्रार्थी सं. 01/01 (का. मु. अप्रार्थी सं. 01 व 02) के विरुद्ध चाहा गया है। अप्रार्थी सं. 01/01 की ओर से जवाब, बहस जरिए अधि. की जा चुकी है। मा. RAA द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20/10/21 अनुसार ख. सं. 462, ख. सं. 542, ख. सं. 543 के कुल रकबा 101 बीघा 7 बिस्वा को प्रा. पत्र निस्तारण तक बेचान। हस्तांतरण ना हो।	

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief

मुताबिक सत्यापित प्रति जमाबंदी, गिरदावरी रव. सं. 462/1 में प्रति. सं. 06, रव. सं. 462 में प्रति. सं. 07 ता 10 दर्ज खातेदार हैं एवं रव. सं. 542, 543 में प्रति. सं. 01 व 02, 04, 05 recorded खातेदार हैं। प्रति. सं. 04/01 व 05 की ओर से वक्त बहस जिक्र किया गया आपसी सहमति से बंटवारा संबंधी दस्तावेज पत्रावली में नहीं पाया गया। अप्रार्थी सं. 01/01 की ओर से वसीयत संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं पाये गये। उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। पुनश्च मूल पत्रावली वाद के अवलोकन में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 01/10/15 को आपसी सहमति से किए गए बंटवारे की सत्यापित प्रति संलग्न में आई, जिसके अनुसार रव. सं. 543 (44'10"), रव. सं. 542/1 (1 बीघा 19 बिस्वा) प्रति. सं. 04, 05 के हक में, रव. सं. 542 (रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा) अप्रार्थी सं. 01/01 के हक में, रव. सं. 542/2 (23 बीघा 5 बिस्वा) प्रति. सं. 02 के हक में, रव. सं. 543/1 (13 बिस्वा) अप्रार्थी सं. 01/01, अप्रार्थी सं. 02, अप्रार्थी सं. 04 व 05 के हक में विभाजित है। मूल वाद पत्रावली में वसीयत संबंधी दस्तावेज संलग्न मिला, जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 01 ने रव. सं. 542, 543 में से अपने हिस्से

Year

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of comp[illegible] of the Order
	की 23 बीघा, 7 बिस्वा, 15 बिस्वांशी भूमि की वसीयत अप्रार्थी सं: 01/01 के हक में की है। उपरोक्त दस्तावेजों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में वाद-ग्रस्त भूमि के ख. सं. 462/1 (रकबा 7 बीघा, 12 बिस्वा) में प्रति. सं. 06 recorded खातेदार है। ख. सं. 462 (रकबा 4 बिस्वा) में प्रति सं. 07 ता 10 recorded खातेदार हैं। ख. सं. 543 (रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा), ख. सं. 542/1 (रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा) में प्रति. सं. 04 (क्र. मु.) व 05 recorded खातेदार हैं। ख. सं. 542 (रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा) में प्रति. सं. 01/01 recorded खातेदार है। ख. सं. 542/2 (रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा) में अप्रार्थी सं. 02 (फौत) recorded खातेदार है। ख. सं. 543/1 (रकबा 13 बिस्वा) में अप्रार्थी सं. 01/01, 02, 04, 05 recorded खातेदार हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 01/01 के विरुद्ध जारी की जाती है कि ख. सं. 542/2 (रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा) के रिकॉर्ड की यथास्थिति ता फैसला मूलवाद बनाए रखें। आदेश खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Priyanka सहाय [illegible] लेक्टर एवं कार्यपालक [illegible] जोधपुर	